डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, 5 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
6. सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, 17/9 विन्डसर पैलेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ।
7. डॉ0 उदयभान यादव, पूर्व विभागाध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
8. प्रो0 राजनाथ, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
9. डॉ0 गनपत सिंह कश्यप, निवासी–टीचर्स कालोनी, धामपुर, बिजनौर।
10. प्रो0 रवि शंकर सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
11. प्रो0 शेफाली यादव, आचार्य, विधि, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12. प्रो0 नागेन्द्र यादव, आचार्य, प्रबन्धशास्त्र, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 2358 /फा0सं0–36(सप्तम्)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./कार्य परिषद/2024–25 दिनाँक 28 मार्च, 2025

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की आयोजित 47वीं बैठक दिनांकः 01 मार्च, 2025 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 47वीं बैठक दिनाँक 01 मार्च, 2025 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

संलग्न– यथोपरि।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा0 कार्य परिषद की 47वीं बैठक
दिनाँकः 01 मार्च, 2025 का कार्यवृत्त

समय– मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान– पंचम तल स्थित सभागार,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 47वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/47	**मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद् की 46वीं बैठक दिनॉक 12 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/47	**मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2024 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–मा0 कार्य परिषद् की 46वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवलोकित होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/47	**विश्वविद्यालय में रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट का निदेशक नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध की गुणवत्ता का विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने, शैक्षणिक परिवेश में रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 04 मार्च, 2022 को दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके अनुक्रम में नामित किये गये प्रो0 अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र को निदेशक, Research & Development Cell पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/47	**विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, शैक्षणिक नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुगम संचालन के लिए मा0 कार्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 03.08.2011 के बिन्दु संख्या–7.9 में अधिष्ठाता, शैक्षणिक नामित किये जाने हेतु लिए निर्णय के क्रम में प्रो0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग को अधिष्ठाता, शैक्षणिक के अवैतनिक पद पर नामित किया गया, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/47	**विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021--16 (26)/2011, दिनांक 15.06.2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति--2020 के अनुरूप ''च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम'' (CBCS) पर तैयार न्यूनतम् समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 18133/65–3–2022, दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा उच्च शिक्षा के उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2021 में वर्णित प्राविधानों के आलोक में न्यूनतम् समान पाठ्यक्रम के अनुसार संकायों के पुनर्गठन की कार्यवाही किये जाने पर अनुमति प्रदान की गई है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2022 एवं मा0 कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2022 में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 186/फा0सं0–225/कार्य0परि0/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2024–25, दिनांक 01 मई, 2024 द्वारा विश्वविद्यालय में संकायों का पुनर्गठन किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नानुसार संकायों के संकायाध्यक्ष पर नामित किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया–

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	क्र.स. | पुर्नगठित संकाय | नामित अधिष्ठाता I. | भाषा संकाय | प्रो0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी II. | विज्ञान संकाय | प्रो0 सी0 के0 दीक्षित, आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग III. | पैरामेडिकल रिहैबिलीटेशन साइन्सेज | प्रो0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी IV. | विशेष शिक्षा संकाय | डॉ0 कौशल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, श्रवण बाधितार्थ V. | कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय | प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्रा, आचार्य, इतिहास VI | ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय | प्रो0 पी0 राजीवनयन, आचार्य, ललित कला
6/47	**सामाजिक विज्ञान एवं समाज कार्य विभाग में कार्यरत प्रो0 हिमांशु शेखर झा, प्रोफेसर, समाजशास्त्र को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0 प्र0 के पद पर सेवाएं दिये जाने हेतु कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।** दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 के पत्र संख्याः 599/65–3099/ 616/2019, दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा प्रो0 हिमांशु शेखर झा, आचार्य, समाजशास्त्र की नियुक्ति राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के पद पर 3 वर्ष की अवधि हेतु की गयी। प्रो0 हिमांशु शेखर झा विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग में आचार्य, समाजशास्त्र के पद पर दिनांक 10 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न कार्यभार ग्रहण किया गया तथा वेतनमान रु0 1,44,200 से 2,18,200 के अन्तर्गत मूलवेतन 2,18,200 पर नियमित रूप से सतत् कार्यरत रहे हैं। तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 744/फा0सं0–335/2024–25, दिनांक 24 जुलाई, 2024 द्वारा प्रो0 हिमांशु शेखर झा, आचार्य, समाजशास्त्र को दिनांक 24 जुलाई, 2024 के अपराह्न से 3 वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुये इस संस्था से कार्यमुक्त किया गया। उक्त अवकाश अवधि के दौरान प्रो0 झा का विश्वविद्यालय में धारणाधिकार (Lien) यथावत् रहेगा। **निर्णयः–मा0 कार्य परिषद प्रो0 हिमांशु शेखर झा, आचार्य, समाजशास्त्र के प्रकरण से संज्ञानित होते हुए उनके द्वारा किये गये अनुरोध पर कार्यमुक्त किये जाने एवं धारणाधिकार बनाये रखने के साथ ही 03 वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
7/47	**विश्वविद्यालय में संचालित चिकित्सालय यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं लिए जाने पर अनुमोदन।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में सृजित चिकित्सा यूनिट के संचालन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की सतत् सेवाएं लिए जाने पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय में महिला एवं पुरूष छात्रावाास में आवासित विद्यार्थियों के साथ–साथ अन्य विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा सुदृढ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 के बिन्दु सं0–15/39 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मानदेय के आधार पर सप्ताह में 02 दिन (मंगलवार एवं बृहस्पतिवार) की सेवाएं दे रहे डॉ0 राकेश प्रधान, चिकित्सक की अनुबन्ध पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा साथ ही प्रतिनियुक्ति के आधार पर सृजित 04 अन्य चिकित्सक जब तक विश्वविद्यालय में नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक के लिए डॉ0 राकेश प्रधान की सेवाएं उनकी सुविधानुसार सप्ताह के 02 दिन को बढाकर 05 दिन तक पूर्व निर्धारित दरों पर विस्तारित किये जाने पर अनुमति प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मा0 कार्य परिषद विश्वविद्यालय में डॉ0 संतोष सिंह यादव, हृदय रोग विशेषज्ञ की चिकित्सालय अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 24.01.2025 के अपराह्न में योगदान से संज्ञानित हुई।
8/47	**विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से मानवशक्ति की अतिरिक्त सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः– विश्वविद्यालय में किये जा रहे शैक्षिक विस्तार प्रोजेक्ट सम्बन्धी कार्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पैरा खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु खेल सुविधा विस्तार किया जाना है तथा विश्वविद्यालय की सुरक्षा, महिला व पुरूष छात्रावास एवं प्रशासनिक कार्यो के सुगमता हेतु विभिन्न श्रेणी में अतिरिक्त मानवशक्ति की नितान्त आवश्यकता है, जिस हेतु विश्वविद्यालय में अधिकतम 250 मानवशक्ति की सेवाएं लिए जाने की अनुमति है। परन्तु विश्वविद्यालय के बढते स्वरूप एवं आवश्यकता के दृष्टिगत मानवशक्ति की संख्या 250 से 300 किये जाने पर विचार–विमर्श करते हुए वृद्धि किये जाने पर मा0 कार्य

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	परिषद द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये गये– (1) विभिन्न श्रेणी के पदों पर सेवाएं लिए जाने हेतु पृथक–पृथक वृद्धि किये जाने वाले पदों की संख्या एवं उसका औचित्य दर्शित करते हुए उन पर होने वाले व्यय भार का विवरण उल्लेख करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
9/47	**विश्वविद्यालय में मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 में बिन्दु संख्या–24/39(2) लिए गये निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के पारित आदेश पर विचार।**
	मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में 6/7(अ) में निर्णय लिया गया कि– *"डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों पर विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय न लिए जाने तथा केस–टू–केस सुनवाई हेतु गठित समिति की जाँच आख्या की तकनीकी कमियों (चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सन्दर्भ में पृथक–पृथक संस्तुतियों को उपलब्ध न कराया जाना) पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एवं तत्सम्बन्धी परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रकरण पर 02 माह के अन्तर्गत निर्णय लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए परिषद को अवगत कराया जाए।"* उक्त के अनुपालन में मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 में बिन्दु संख्या– 3/35 पर निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया – 1. विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की गयी नियुक्तियों पर, प्रक्रियाओं का पालन करने व प्रकरण को निस्तारित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की दो सदस्यीय समिति बनाये जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया। 2. उक्त समिति में नामित न्यायमूर्ति को अन्तिम वेतन–पेंशन के आधार पर मानदेय, टंकण सहायक, स्टेशनरी तथा सदस्यों को विश्वविद्यालय आने जाने हेतु सुविधा दिए जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 3. विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नामित किए जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। 4. उक्त गठित समिति को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उक्त कार्य हेतु कार्यालय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। 5. उक्त गठित समिति दो माह में अपनी संस्तुति मा0 कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगी, जिससे प्रत्येक प्रकरण पर अन्तिम निर्णय संगत नियमों/परिनियमों/अधिनियम के अन्तर्गत किया जा सके। मा0 कार्य परिषद की उक्त 35वीं बैठक में लिए गये निर्णय पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में जांच/परीक्षण हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए विश्वविद्यालय के पत्रांक 1400/फा0सं0–1297/शा0जांच/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा करते हुए न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ को कतिपय शर्तों के अधीन जांच समिति का सदस्य नामित किया गया। उक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों पर प्रकरण पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं के आलोक में विस्तृत जांच करते हुए संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराई गई। उक्त जांच आख्या को मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में प्रस्तुत की गई, जिस पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मा0 कार्य परिषद की निर्णय के क्रम में उक्त 05 शिक्षकवृन्द को जांच आख्या का संगत अंश उपलब्ध कराते हुए (तत्समय विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत) विश्वविद्यालय के पृथक–पृथक पत्र के माध्यम से उन्हें अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया तत्क्रम में सम्बन्धित शिक्षकवृन्द द्वारा अपने–अपने अभ्यावेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये जिसके परीक्षण हेतु गठित समिति (मा0 उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एवं विषय विशेषज्ञ) द्वारा परीक्षण किया गया, जिसकी आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक में अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की परीक्षण आख्या को यथावत् स्वीकार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया एवं तत्क्रम में उक्त शिक्षकवृन्द के अभ्यावेदन बलहीन

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

होने के कारण इनका चयन निरस्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

विश्वविद्यालय में मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 में बिन्दु संख्या 24/39(2) में लिए गये निर्णय के अनुपालन में निम्न शिक्षकवृन्द की सेवाएं पृथक-पृथक आदेश द्वारा सेवाएं समाप्त की गई-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	पत्रांक एवं दिनांक
01	प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्रा	प्रोफेसर	इतिहास एवं पुरातत्व विभाग	872/2022-23 दिनांक 06.07.2022
02	डॉ0 विपिन कुमार पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भारतीय भाषा विभाग	870/2022-23 दिनांक 06.07.2022
03	डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर	श्रवण बाधितार्थ विभाग	874/2022-23 दिनांक 06.07.2022
04	डॉ0 आद्या शक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेसर	दृष्टिबाधितार्थ विभाग	873/2022-23 दिनांक 06.07.2022
05	प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव	प्रोफेसर	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	871/2022-23 दिनांक 06.07.2022

इसी प्रकार मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक में गैर-शैक्षिक संवर्ग के विधि अधिकारी के पद पर नियुक्त श्री आलोक मिश्रा की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया, उक्त प्राप्त अभ्यावेदन को मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 19.08.2022 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिए गये निर्णय के अनुपालन में श्री आलोक मिश्रा, विधि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन बलहीन होने के कारण चयन विश्वविद्यालय के पत्रांक 1620/फा0सं0-789/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2022-23, दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा निरस्त किया गया।

उक्त सेवाएं समाप्त किये जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित शिक्षकवृन्द द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में पृथक-पृथक 05 वाद दाखिल किया गया, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त 05 वाद के सापेक्ष समेकित रूप में Writ-A 4293 आफ 2022 दिनांक 08.05.2023 आदेश पारित किया गया, जिसमें अन्तिम प्रस्तर में निम्न आदेश उल्लिखित किया गया है-

83. In view of the above, the writ petitions stand **allowed.** The impugned orders dated 06.07.2022 with respect to all the petitioners challenged in all the writ petitions, forming part of the bunch, are set aside. The respondent University is directed to reinstate the petitioners forthwith. Considering the fact that they have been working for the last 6 to 7 years and the orders of termination have been held to be illegal and arbitrary, they are entitled to all consequential benefits including the back wages from the date of termination of their services.

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित 05 शिक्षकवृन्द द्वारा पृथक-पृथक पत्र के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय से पारित उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने का अनुरोध करते हुए अपने मूल पद पर योगदान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुक्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विश्वविद्यालय के अनुबन्धित अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश, विधिक परामर्श को मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 29.05.2023 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा बिन्दु संख्या-3/43 में निर्णय लिया गया कि "मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट-ए 4293 ऑफ 2022 दिनांक 08.05.2023 पर पारित आदेश एवं विश्वविद्यालय के अनुबन्धित अधिवक्ता द्वारा दिये गए विधिक राय पर सम्यक् विचार-विमर्श करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2023 को पारित निर्णय पर मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील करने का निर्देश प्रदान किया गया"।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

इसी प्रकार गैर–शैक्षिक संवर्ग के विधि अधिकारी के पद पर निरस्त किये गये चयन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट ए 7046 आफ 2022 में पारित आदेश मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 29.05.2023 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिन्दु संख्या 16/43(2) में निर्णय लिया गया– कि मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट ए 7046/2022 दिनांक 24.05.2023 को पारित आदेश पर सम्यक् विचार–विमर्श करते हुए बिन्दु संख्या 3/43 के अनुरूप की उक्त पारित निर्णय दिनांक 24.05.2023 पर पर मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील करने का निर्देश प्रदान किया गया।

मा0 कार्य परिषद के उक्त निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में विशेष अपील दायर किया गया, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को अपने आदेश के अन्तिम प्रस्तर में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

E. CONCLUSION

(60) For all the aforesaid reasons, this Court is not inclined to interfere in the findings arrived by the learned Single Judge in the impugned common judgment/order dated 08/05/2023 passed in Writ-A Nos. 4293, 4316, 4310, 4307, 4312 of 2022 and the impugned judgement/order dated 24.05.2023 passed in Writ-A No.7046 of 2022.

(61) As a sequel to above, all the above-captioned appeals are dismissed. However, in the aforesaid facts and circumstances, there shall be no orders as to cost.

उक्त के अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत 05 शिक्षकवृन्द एवं 01 गैर–शैक्षिक (विधि अधिकारी) को तत्समय तत्कालीन कुलपति, विश्वविद्यालय द्वारा "मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में इनका योगदान कराते हुए आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत करें तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली में रक्षित करें।" निर्देश प्रदान किया गया। उक्त प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में प्रश्नगत 05 शिक्षकवृन्द एवं विधि अधिकारी को पृथक–पृथक आदेशों के क्रम में दिनांक 02 फरवरी, 2024 को विश्वविद्यालय में योगदान स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई, इस क्रम में मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक में लिए में निर्णय पर मा0 सामान्य परिषद की अष्टम् बैठक दिनांक 18 जून, 2023 में अद्यतन कृत कार्यवाही से संज्ञानित कराया गया, जिसमें बिन्दु संख्या–6/8 (क) में शैक्षिक संवर्ग हेतु तथा बिन्दु संख्या--6/8 (ख) में गैर–शैक्षिक संवर्ग के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया कि "मा0 सामान्य परिषद शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग में नियुक्ति की जांच हेतु की गई कृत कार्यवाही से संज्ञानित होते हुए इस सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद की 43वीं बैठक में लिए गये निर्णय पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते हुए अपील के अन्तिम स्तर तक प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में शासकीय अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त कर ली गई है, जो मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

निर्णयः–मा0 कार्य परिषद उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते समय निम्न तथ्यों से भी अवगत हुई–

1. उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में Contempt (writ No. 2750 of 2023) में विचाराधीन है।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई विधिक राय।
3. मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 2651/फा0सं0–007/डॉ.श.मि.रा. पु.वि./बजट अवमुक्त/2023--24, दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा प्रश्नगत 05 शिक्षकवृन्द (02 आचार्य एवं 03 सह आचार्य) एवं विधि अधिकारी की योगदान आख्या स्वीकार करते हुए विगत 19 माह (जुलाई, 2022 से माह जनवरी, 2024 तक) के वेतन एरियर का भुगतान कराने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 से अनुरोध किया गया।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा 05 शिक्षकवृन्द एवं (01) विधि अधिकारी के योगदान पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रतिनिधि विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह अभिमत धारित किया गया कि मा0 सामान्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 18.06.2023 के बिन्दु संख्या–6/8 (क) एवं (ख) के सन्दर्भ में मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रथम के विधिक राय तथा Contempt (writ No. 2750 of 2023) मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से मा0 सामान्य परिषद को अवगत कराया जाय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षिक पदों प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान संशोधित किये जाने एवं लिपिकीय संवर्ग का ढाँचा पुर्नगठित किये जाने के सम्बन्ध में।
10/47	विश्वविद्यालय के पदों के सृजन शासनादेश सं0–2893/65–2–2008–57(विविध)/2008, दिनाँक 30.12.2008 में लिपिकीय संवर्ग के ढ़ाचे का सृजन किया गया है, जो कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक पदोन्नति का ढ़ांचा बनाया गया है। जिसमें समस्त वेतनमान पंचम वेतनमान के हैं, जिसमें कार्यालय अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का वेतनमान पृथक–पृथक था। छठे वेतनमान के आने पर कार्यालय अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का वेतनमान समान वेतनमान में हो गया, जबकि कार्यालय अधीक्षक से प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद पदोन्नति का है, जिस कारण उक्त पदों के वेतनमान में विसंगति पायी गयी, जिसे संशोधित कराया जाना है। उल्लेखनीय है कि छठे वेतनमान में लिपिकीय संवर्ग के ढांचे को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–वे0आ–2665(1) दस–54 (एम)2008 टी0सी0, दिनांक 26.09.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार लिपिकीय संवर्ग का पुर्नगठन करते हुए कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं प्रधान सहायक तक का ढांचा बनाया गया तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनाँक 26.09.2013 द्वारा की गयी संस्तुतियों में लिपिकीय संवर्ग हेतु पुर्नगठित ढाचें के ठीक नीचे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि "निर्धारित ढांचे के आधार पर वरिष्ठ सहायक तथा प्रधान सहायक के उच्च स्तर के पदों का निर्धारण/सृजन संबंधित संस्था की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्व विद्यालय कार्य परिषद की 13वीं बैठक दिनाँक 04.06.2014 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–13.24 में विश्वविद्यालय कार्मिकों की सेवा नियमावली एवं अवकाश नियमावली "जब तक विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी कार्मिकों की सेवा नियमावली नहीं बन जाती तब तक उत्तर प्रदेश सरकार में प्रचलित सेवा नियमावली को विश्वविद्यालय में प्रभावी किये जाने तथा गैर–शैक्षिक कार्मिकों की अवकाश नियमावली जब तक नहीं बन जाती तब तक राज्य सरकार में प्रचिलित अवकाश नियम विश्वविद्यालय में कार्यरत् गैर–शैक्षिक कार्मिकों पर प्रभावी किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।" निर्गत कार्यवृत्त के क्रम में उक्त सेवा नियमावली एवं अवकाश नियमावली विश्वविद्यालय गैर–शैक्षिक कार्मिकों पर प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्रांक–1490, दिनाँक 23.09.2014 द्वारा कार्यालय–ज्ञाप निर्गत किया गया। कार्य परिषद में सेवा नियमावली के अनुमोदन के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 संख्या–वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)189/ दस–2014–11–2013, दिनाँक 22.09.2014 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत् लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति आदि की कार्यवाही की गयी है, जिसमें भाग–सात–वेतन इत्यादि बिन्दु संख्या–25 में लिपिक संवर्ग सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जाने का उल्लेख किया गया है, का विवरण निम्नवत् है :–

पदनाम	वेतनमान	
	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200	रू0 2000
वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200	रू0 2800
प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800	रू0 4200
प्रशासनिक अधिकारी	**वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800**	**रू0 4600**
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	**वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800**	**रू0 4800**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100	रू0 5400

उपरोक्त तालिका में कनिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक का वेतनमान दिया गया है, परन्तु विश्वविद्यालय में पदों के सृजन शासनादेश संख्या–2893, दिनाँक 30.12.2008 में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक का ढांचा दिया गया है, तद्नुसार विश्वविद्यालय में लिपिकीय संवर्ग का ढांचा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक वेतनमान में पुर्नगठित कराया जाना है, जिसमें कनिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक तक का वेतनमान पुनरीक्षित कराया जा चुका है, **परन्तु प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का वेतनमान उपरोक्त तालिकानुसार पुनरीक्षित कराया जाना है,** क्योंकि प्रधान सहायक से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक का वेतनमान छठे वेतनमान में समान वेतनमान में सृजित है एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक से पदोन्नति का पद है तथा इसी प्रकार वरिष्ठ

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति का पद है, जिस कारण उक्त पदों का वेतनमान उच्चीकृत करते हुए लिपिकीय संवर्ग का ढाचा पुर्नगठित किया जाना अत्यंत आवश्यक है :–

लिपिकीय संवर्ग का पुर्नगठिन ढांचा निम्नवत् होगा :–

वर्तमान ढांचा				पुर्नगठित ढांचा			
क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया
1-	कनिष्ठ लिपिक	113	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ सहायक	113	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	80% सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त" सी०सी० सी० प्रमाण–पत्र" तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम कमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15% चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05% चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इटरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार
2-	वरिष्ठ लिपिक	37	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	वरिष्ठ सहायक	54	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
	वरिष्ठ सहायक	17	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800				
3-	कार्यालय अधीक्षक	09	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	प्रधान सहायक	09	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4-	प्रशासनिक अधिकारी	05	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	प्रशासनिक अधिकारी	05	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
5-	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	9300–34800 ग्रेड वेतन 4800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।

उक्त के अतिरिक्त कार्मिक अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3/2015/13(2)2015/का–1–2015, दिनाँक 12.08.2015 में लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने विषयक है तथा उक्त कार्यालय–ज्ञाप में प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का वेतनमान भी दिया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पद का छठे वेतनमान के अनुसार 9300–34800, ग्रेड पे–4600 तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद का छठे वेतनमान के अनुसार 9300–34800, ग्रेड पे–4800 का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में पदों के सृजन शासनादेश दिनाँक 30.12.2008 के अनुसार सृजित लिपिकीय संवर्ग के पदों में प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों के वेतनमान में वेतन विसंगति पायी गयी है, जिसे संशोधित कराया जाना आवश्यक है।

अतएव विश्वविद्यालय में सृजित प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान छठे वेतनमान के अनुसार 9300–34800, ग्रेड पे–4600 तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद का छठे वेतनमान के अनुसार 9300–34800, ग्रेड पे–4800 करने पर विचार किया जाना है।

मा० कार्य परिषद कृपया विश्वविद्यालय में लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत सृजित प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदों के वेतनमान की विसंगति को दूर किये जाने पर विचार करते हुए उक्त पदों का वेतनमान प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान छठे वेतनमान के अनुसार 9300--34800, ग्रेड

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय

	पे–4600 तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद का छठे वेतनमान के अनुसार 9300–34800, ग्रेड पे–4800 किये जाने पर अनुमोदन प्रार्थित है। **निर्णयः**–1. मा0 कार्य परिषद द्वारा गैर–शैक्षिक पदों प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान संशोधित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त एवं कार्मिक विभाग के अद्यतन नियमों के अधीन होगा उक्त के क्रम में यदि किसी शासनादेश का अतिक्रमण होता है तो उस सीमा तक शून्य होगा। 2. क्रम सं.–'1' के क्रम में अनुमोदित करते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से पत्राचार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
11/47	**विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न मा0 न्यायालयों में वादों की प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ता को इम्पैनल किये जाने के सम्बन्ध में।**
	मा0 उच्च न्यायालय एवं अन्य मा0 न्यायालय में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित वादों की प्रभावी पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में श्री सुदीप सेठ, तथा कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में श्री अतुल कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता को नामित करते हुए अनुबन्धित किया गया है। मा0 कार्य परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 23.06.2021 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–479/फा0सं0–161/दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा श्री अतुल कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ को कतिपय शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय के अधिवक्ता के रूप में Counsel Fee धनराशि रू0 20,000/– एवं अन्य व्यय की वास्तविक व्यय के अनुमन्य करते हुए अनुबन्धित किया गया है। जिसमें वादशुल्क का 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रति–शपथ पत्र दाखिल किये जाने के उपरान्त किया जायेगा शेष 40 प्रतिशत धनराशि वाद के निस्तारण पर भुगतान किया जायेगा। मा0 कार्य परिषद की 37वीं बैठक दिनांकः 17 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या–11/37 (1) पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2467/फा0सं0–161/2021–22, दिनांक 21 फरवरी, 2022 द्वारा श्री अतुल कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ को रिटेनरशिप के रूप में धनराशि रू0 11,000/– प्रतिमाह अनुमन्य किया जा रहा है। मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांकः 19 अप्रैल, 2022 के बिन्दु संख्या–12/38 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–255/फा0सं0–161/2022–23, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा श्री सुदीप सेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ को प्रतिवाद शुल्क धनराशि रू0 50,000/– की दर से कतिपय शर्तों के अधीन अनुबन्धित किया गया है। जिसमें वादशुल्क का 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रति–शपथ पत्र दाखिल किये जाने के उपरान्त किया जायेगा तथा शेष 40 प्रतिशत धनराशि वाद के निस्तारण पर भुगतान किया जायेगा।उक्त अधिवक्ताओं से विश्वविद्यालय में समय–समय पर मा0 न्यायालय में योजित वाद के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों यथा–शैक्षिक, प्रशासनिक व नीतिगत मुद्दों/पत्रावलियों पर विधिक परामर्श पृथक से प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्यपाल सचिवालय, उ0 प्र0 से अपने पत्र ई–7522/7351/20–जी0एस0/2024(एडवोकेट), दिनांक 13.11.2024 के माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रकरणों में मा0 कुलाध्यक्ष/श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 पक्षकार बनाये जाने तथा प्रभावी पैरवी कराये जाने व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ, लखनऊ में तत्समय प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने के लिए अधिवक्ता की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होता है। अतः विश्वविद्यालय के विरूद्ध विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित वादों पर प्रभावी पैरवी के लिए श्री सुदीप सेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री अतुल कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ अधिवक्ता के रुप में सेवाएं दे रहें हैं एवं विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य अधिवक्ता को इम्पैनल किये जाने पर विचार किया जाना है। **निर्णयः–मा0 कार्य परिषद उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से मा0 न्यायालयों में वादों की प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किए जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।**
12/47	विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य वाहन के सम्बन्ध में।
	विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वर्ष 2009 में 03 एम्बेस्डर कार क्रय करते हुए प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था, उक्त 03 एम्बेस्डर कार में से 02 कार मा0 कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 17.01.2020 में

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

	प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में 02 कार (UP-32 CU 7441 एवं UP-32 CU 7442) की नीलामी/निष्प्रयोज्य की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। **निर्णयः**—उपर्युक्त से सम्बन्धित प्रस्ताव का वित्त समिति की की 31वीं बैठक दिनांक 04.09.2024 के बिन्दु संख्या—6/31 एवं वित्त समिति की 32वीं बैठक दिनांक 2/32 से संज्ञानित होते हुए उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों की गतिशीलता के दृष्टिगत निष्प्रयोज्य किये जा चुके 02 वाहन (UP-32 CU 7441 एवं UP-32 CU 7442) के स्थान पर 02 नवीन वाहन (कुलपति, विश्वविद्यालय हेतु इनोवा क्रिस्टा अद्यतन मॉडल एवं विश्वविद्यालय के प्रयोगार्थ अन्य सेडॉन वाहन) क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई तथा बोलेरो UP-32 CU 7434 की निष्प्रयोज्य प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त 01 अन्य वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
13/47	**वित्त (लेखा—परीक्षा) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—2/2019/आडिट—2—1053/दस—2019—355 (5)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**
	उत्तर प्रदेश सरकार, विधायी अनुभाग—1 के अधिसूचना संख्या—340/79—वि —1—09—1(क) 36—2008 लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा पारित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अधिनियम, 2009 के बिन्दु संख्या—34 (वार्षिक लेखा रिपोर्ट और सम्परीक्षा) के उप बिन्दु संख्या—(2) में वर्णित है कि "विश्वविद्यालय की लेखा संपरीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश या ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, करायी जायेगी " की व्यवस्था दी गयी है। उपर्युक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त (लेखा—परीक्षा) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या —2/2019/आडिट—2—1053/दस—2019—355 (5)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है— **बिन्दु सं0—1** पर उल्लिखित किया गया है कि कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल (ड्यूटीज पावर्स एण्ड कण्डीशन्स आफ सर्विस) एक्ट—1971 (यथा संशोधित) की धारा—20 के प्राविधानों के अनुपालन में राज्य सरकार के अधीन तालिका के क्रम संख्या—23 पर अंकित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया है। **बिन्दु सं0—2** पर उल्लिखित किया गया है कि विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा अब, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नही की जाएगी। **बिन्दु सं0—3** पर उल्लिखित किया गया है कि विश्वविद्यालयों की नियमावली में लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन कराया जाये तथा साथ ही विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से सम्पादित की जाये। कृपया मा0 कार्य परिषद वित्त (लेखा—परीक्षा) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—2/2019/ आडिट—2—1053 /दस—2019—355 (5)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय की लेखा संपरीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 के बिन्दु संख्या—34 (वार्षिक लेखा रिपोर्ट और सम्परीक्षा) के उप बिन्दु संख्या—(2) में संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण प्रशासनिक विभाग/शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रार्थित है। **निर्णयः**—मा0 कार्य परिषद वित्त (लेखा—परीक्षा) अनुभाग—2 के शासनादेश. संख्या—2/2019 /आडिट—2—1053/दस—2019—355(5)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर 2019 के क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त परिनियमावली में इस संबंध में संशोधित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
14/47	**विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द को कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द को कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नत किए जाने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव को सम्पूर्णता के साथ आगामी मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय

15/47

विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध में।

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद् की 46वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2024 में विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में निम्नांकित निर्णय प्रदान किया गया –

क्र.सं.	विवरण	पदगत दायित्व
1.	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/ मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य।	अध्यक्ष
2.	आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ (मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित)	वाह्य विशेषज्ञ
3.	विभागाध्यक्ष। (यदि विभागध्यक्ष आचार्य नहीं हैं, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ)	सदस्य

उक्त गठित स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग कमेटी के गठन में क्रम संख्या–01 एवं क्रम संख्या–3 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है–

क्र.स.	**पूर्व की व्यवस्था**	**प्रस्तावित संशोधित व्यवस्था**
1.	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/ मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य।	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता/ **जिस संकाय में अधिष्ठाता आचार्य नहीं है, तो वहाँ मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अन्य आचार्य।**
3.	विभागाध्यक्ष। (यदि विभागध्यक्ष आचार्य नहीं हैं, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ)	विभागाध्यक्ष। (यदि विभागध्यक्ष आचार्य नहीं हैं, तो मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर का वाह्य विशेषज्ञ) **जिस विषय में संकाय के अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर विभागाध्यक्ष के स्थान पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे।** **जिस विभाग में सम्बन्धित विषय के आचार्य विभागाध्यक्ष नहीं हैं, तो वहाँ पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य स्तर के वाह्य विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहेंगे।**

निर्णयः–उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2025 के बिन्दु संख्या–16/35(1) में सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उक्त से संज्ञानित होते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा शैक्षिक संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन की स्क्रूटिनी–कम–स्क्रीनिंग हेतु गठित समिति में तद्नुसार संशोधन पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

16/47

मा0 विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 22 नवम्बर, 2024 में लिए गये निर्णयों पर विचार।

निर्णयः–(1) विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की सम्पन्न 34वीं बैठक दिनांकः 22 नवम्बर, 2024 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मा0 विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2025 का कार्यवृत्त भी प्रस्तुत किया गया और विचारोपरान्त निर्गत कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

17/47	**विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 31वीं बैठक दिनांकः 03 जुलाई, 2024 एवं सम्बद्धता समिति के 32वीं बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2025 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**
	निर्णयः—विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की सम्पन्न 31वीं बैठक दिनांकः 03 जुलाई, 2024 एवं 32वीं बैठक दिनांकः 15 जनवरी, 2025 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
18/47	**विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024, परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 30.09.2024 एवं परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 19.12.2024 में लिये गये निर्णय पर विचार।**
	निर्णयः— विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की सम्पन्न 15वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024, परीक्षा समिति की 16वीं बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2024 एवं परीक्षा समिति की सम्पन्न 17वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 में लिए गये निर्णय के कार्यवृत्त को अवलोकित करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
19/47	**विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2023, वित्त समिति की 31वीं बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2024 एवं वित्त समिति की 32वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2025 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2023, वित्त समिति की 31वीं बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2024 एवं वित्त समिति की 32वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2025 में लिए गये निर्णय के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
20/47	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**
अन्य बिन्दु (1)	**विश्वविद्यालय के अधिकारीगण एवं गैर—शैक्षणिक कार्मिकों हेतु उपादान (ग्रेच्युटी) सम्बन्धी शासनादेश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णय— विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारियों एवं गैर—शैक्षिक कार्मिकों को ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य कराय जाने हेतु अन्य विश्वविद्यालय में प्रचलित नियमों/शासनादेशों का अवलोकन करते हुए तत्क्रम में आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
अन्य बिन्दु (2)	**विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023—24 में शैक्षिक संवर्ग के सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के पूर्ण किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने सम्बन्ध में।**
	निर्णय— शैक्षिक सत्र 2023—24 में शैक्षिक संवर्ग के सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या—55, दिनांक 30.10.2023 एवं विज्ञापन संख्या— 56, 57 एवं 58 दिनांक 02.11.2023 के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश के साथ मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।